

11/3/24

पत्रावली वेरा डर / प्राथीया वकील अनु. / अपाथीया
सं. २४ ३ की ओर से वकील भावकी प्रसाद उप।
वकील प्राथीया को रुक-रुक कर कई बार आवाज
दिलाई गई। कोई हाजीर नहीं। मूल वाद अदालत
दोपहर १ व अदालत परवी में खारिज किया जा
चुका है। अतः मूल वाद के अभाव में प्रार्थना
पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली के लल
शुभार होकर कारिबल करार हो रहा जम्बल
ले कर हो।

सहायक कलेक्टर, सांघौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांघौर)

